

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल
192, एवीएन टॉवर, मेजनाइन फ्लोर, जोन -1, एम.पी.नगर भोपाल
ई-मेल : spdmpwb@gmail.com


//आदेश//

क्रमांक 249/ वि. बै.परि /2021, भोपाल, दिनांक 11 /02/2021 - आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित आउटकम इंडिकेटर :

आउटकम इंडिकेटर 5.14 - उच्च शिक्षा संचालनालय एवं महाविद्यालयों के लिए एकीकृत पोर्टल को विकसित करना"

के सम्बन्ध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1301/ वि. बै.परि /2020; दिनांक: 24.10.2020 द्वारा गठित निम्न समिति को उच्च शिक्षा संचालनालय एवं महाविद्यालयों के लिए एकीकृत पोर्टल को विकसित करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 12.02.2021 को अपराह्न 3 बजे से राज्य परियोजना संचालनालय, रूसा, भोपाल में बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है:

क्र.	प्राध्यापक का नाम	महाविद्यालय का नाम
1.	डॉ. प्रजेश कुमार अग्रवाल	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, रूसा, SPD, भोपाल
2.	डॉ. सुनील मिश्रा	प्राध्यापक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
3.	डॉ. सुशील दुबे	प्राध्यापक, शा. आदर्श विज्ञान महा., जबलपुर
4.	डॉ. अनिल राजपूत	प्राध्यापक, शा. सी. एस. ए. स्नातकोत्तर महा., सीहोर
5.	श्री गोविन्द सिंह राय	प्राध्यापक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
6.	डॉ. महेंद्र मेहरा	सहायक प्राध्यापक, शा. मोतीलाल विज्ञान महा., भोपाल
7.	डॉ. अनूप सिंह	शा. कन्या महा, सीहोर
8.	डॉ. डैनी डेनियल	शा. गीतांजलि कन्या स्नातकोत्तर महा., भोपाल


(चंद्रशेखर वालिम्बे)

अपर आयुक्त

उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 11 /02/2021

क्रमांक 249 / वि. बै.परि /2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ |
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, MAPIT की ओर इस बैठक में किसी प्रतिनिधि को उपस्थित होने के निर्देश देने के अनुरोध के साथ |
3. संचालक/प्राचार्य, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल; शा. मोतीलाल विज्ञान महा, भोपाल; शा. गीतांजलि कन्या महा., भोपाल; शा. आदर्श विज्ञान महा., जबलपुर; शा. सी.एस.ए. महा, सीहोर; शा. कन्या महा. सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं सम्बंधित को बैठक में उपस्थिति हेतु निर्देशित करने हेतु |
4. श्री सौरभ जैन, कंसलटेंट, आई.टी., पी.एम.सी की ओर बैठक में उपस्थित रहने एवं बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ |


अपर आयुक्त

उच्च शिक्षा विभाग